झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड

झारखण्ड सरकार

कृषक हितकारी हमारी योजनाएँ

(कृषक हस्त पुस्तिका)

राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन, प्रसार–सह–प्रशिक्षण संस्थान

समेति, झारखंड

कृषि भवन प्रांगण, कांके रोड़, राँची, झारखंड।

Website: sameti.org E.Mial ID : sametijharkhand@rediffmail.com

वर्ष 2014 में किसानों के लिए भारत सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों की हस्तपुस्तिका

यह पुस्तिका क्यों ?

कृषि एवं सहकारिता विभाग (भारत सरकार) ने किसानों के लिए राज्य सरकारों के जरिये कृषि विकास से सम्बन्धित कई योजनाएं लागू की हैं। हर योजना से सम्बन्धित दिशानिर्देशों व परिपत्रों में उसके विभिन्न घटकों के लिए सहायता के प्रकार और सहायता की मात्रा बताई गई है। विभाग ने अपनी योजनाओं से सम्बन्धित एक संग्रह भी प्रकाशित किया है, जो वेब-लिंक http://agricoop.nic.in/schemesinfo.html पर उपलब्ध है।

कृषि के एक ही घटक के लिए विभिन्न योजनाओं से लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए एक राज्य के अलग जिलों के किसान एक ही फसल के बीच के लिए कृषि माइक्रो प्रबंधन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, आईएसओपीओएम इत्यादि से छूट ले सकते है। विभिन्न योजनाओं के सब्सिडी के मानकों और वित्तीय मापदण्डों को सरल रूप में समझाने वाली यह पुस्तिका विस्तार कार्यकत्ताओं और किसानों के लिए अत्यन्त उपयोगी है, क्योंकि इसमें विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के अनुसार विवरण देने के बजाए कृषि के अलग-अलग पहलुओं के अनुसार सूचनाएं प्रस्तुत की गई है।

इस पुस्तिका में 11 भिन्न विषय शामिल किए गए हैः मिट्टी स्वास्थ्य/संरक्षण एवं उर्वरक, बीज, सिंचाई, प्रशिक्षण एवं विस्तार, मशीनरी एवं प्रौद्योगिकी, कृषि ऋण, फसल बीमा, पौधा सरंक्षण, बागवानी एवं विपणन। इसके अलावा इन विषयों के व्यावहारिक पहलुओं से सम्बन्धित सुझावों को भी शामिल किया गया है। हर विषय तीन पहलुओं में बांटा गया है जैसे- आप क्या करें?, आप क्या प्राप्त कर सकते हैं?, किस से सम्पर्क करें?

लागू करने की दृष्टि से भारत सरकार की मुख्य रूप से दो तरह की योजनाएं है-

(1) पूरे देश के लिए - इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (निर्धारित मापदंडों पर खरे राज्यों के लिए) कृषि का माइक्रो प्रबन्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता की निगरानी सम्बन्धित राष्ट्रीय परियोजनाएं, विस्तार सुधार योजना, भारत में कीट प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण आदि को रखा गया है। इन राष्ट्र व्यापी योजनाओं में राज्य सरकारें निर्देशों के अनुसार उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए किसानों का चयन करती है और इन चुने हुए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देती है।

(2) क्षेत्र, फसल, जिला विशेष के लिए- अन्य सभी योजनाएं इस श्रेणी में आती है। इनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, एचएमएनईएच, कपास प्रौद्योगिकी मिशन, जूट एवं मिस्टा प्रौद्योगिकी मिशन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादि आते है। यह जानने के लिए कि कौन सी योजनायें आपके जिले में लागू है कृपया http://dacnet.nic.in/sehemes.aspx देखें। इन स्कीमों में भी लाभार्थियों का चयन उपलब्ध बजट एवं मानकों के आधार पर किया जाता है।

यह उपयोगी पुस्तिका केवल भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता का घटकवार विवरण देती है। बहुत सी राज्य सरकारें जलवायु परिस्थितियों और किसी क्षेत्र विशेष में कृषि विकास के स्तर के आधार पर भारत सरकार के मानको से ज्यादा वित्तीय सहायता भी देती हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा इस प्रकार की अतिरिक्त सहायता को भी शामिल कर के एक और पुस्तिका क्षेत्रीय भाषाओं (अंग्रेजी में कुछ प्रतिलिपियों के साथ) प्रत्येक राज्यों के लिए शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। जिससे किसानों को प्रत्येक विषय/घटक से सम्बन्धित पूरी सहायता के बारे में जानकारी मिल सके। तब तक किसान राज्य के कृषि / बागवानी विभाग के नजदीकी कार्यालय से सम्पर्क करके राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता (यदि हो तो) के बारे में पता कर सकते है।

1. मिट्‌टी – स्वास्थ्य, मिट्‌टी संरक्षण एवं उर्वरक

क्या करें ?

- मिट्टी की जांच के आधार पर सही उर्वरक उचित मात्रा में ही डालें।
- मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बरकरार रखने के लिए जैविक खाद जरूर डालें।
- उर्वरक छिड़कने की बजाय जड़ों के पास डाले ताकि उर्वरक का पूरा असर रहें।
- फास्फेटिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण और प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करें ताकि जड़ों/तनो का समुचित विकास हो तथा फसल समय पर पके, विशेष रुप से फलीदार फसले, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करती है।
- अम्लीय भूमि के सुधार के लिए चूना और क्षारीय/उसर भूमि के लिये जिप्सम का प्रयोग करें।
- भारत के लिए सहभागी जैविक गारन्टी व्यवस्था (पी.जी.एस इण्डिया प्रमाणीकरण) अपनाने के इच्छुक किसान अपने अथवा पास के गांव से कम से कम पांच किसानों का एक समूह बना कर इसका पंजीकरण पास के जैविक कृषि के क्षेत्रीय परिषद् अथवा क्षेत्रीय केन्द्र में करायें।

क्या पायें ?

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का पैमाना / अधिकतम सीमा	स्कीम घटक
1.	जिप्सम/पाईराइट/चूना डोलोमाईट की आपूर्ति	खर्च का 50%, रू0 750 प्रति हेक्टेयर अधिकतम	एन0एम0ओ0ओ0पी0
2.	सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों में इन तत्वों की आपूर्ति	खर्च का 50%, रू0 500 प्रति हेक्टेयर अधिकतम	एन0एच0एम0
3.	जैविक खेती अपनाने के लिए	रू0 10,000 प्रति हेक्टेयर	एन0एच0एम0
4.	वर्मी कम्पोस्ट इकाई	रू0 50,000 प्रति ईकाई (30 x 8 x 2.5 = 600 घनफीट)	एन0एच0एम0
5.	पोलीथीन वर्मी बेड	रू0 8,000 प्रति ईकाई	एन0एच0एम0
6.	समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन	रू0 1,200 प्रति हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए	एन0एच0एम0
7.	जिप्सम, फोस्फोजिप्सम गंधक (गेहूँ, दलहन में)	खर्च का 50%, रू0 750 प्रति हेक्टेयर अधिकतम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
8.	सूक्ष्म पोषक तत्व को बढ़ावा देने और वितरण हेतु (गेहूँ, दलहन, धान में)	खर्च का 50%, रू0 500 प्रति हेक्टर अधिकतम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
9.	अम्लीय मिट्टी सुधार हेतु चूना/बेसिक स्लैग के लिए	खर्च का 50%, रू0 1,000 प्रति हेक्टेयर अधिकतम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
10.	जैविक खाद (राइजोबियम/पी0एस0बी0)	खर्च का 50%, रू0 100 प्रति हेक्टेयर अधिकतम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
11.	नया चलंत/स्थिर मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापना/प्रशिक्षण	खर्च का 75%, 56 लाख अधिकतम	एन0एम0एस0ए0
12.	सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ावा देना/वितरण	खर्च का 50 %, अधिकतम रू0 500 प्रति हेक्टेयर, रू0 1,000 प्रति लाभुक	एन0एम0एस0ए0
13.	तरल जैविक, जैविक कीटनाशक तथा जैविक खाद	खर्च का 25%, अधिकतम रू0 40 लाख प्रति ईकाई व्यक्तिगत एवं नीजी संस्था के लिए नर्बाड मारफत	एन0एम0एस0ए0
14.	यांत्रिक फल, सब्जी, तथा कचरा द्वारा कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई बनाना	खर्च का 33%, अधिकतम रू0 63 लाख प्रति ईकाई व्यक्तिगत एवं नीजी संस्था के लिए नर्बाड मारफत	एन0एम0एस0ए0

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का पैमाना / अधिकतम सीमा	स्कीम घटक
15.	जैविक उपादान (खाद, जैविक उर्वरक, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, हरबल एक्सट्रेक्टर	खर्च का 50%, अधिकतम रू0 5,000 प्रति हेक्टेयर अधिकतम रू0 10,000 प्रति लाभुक	एन0एम0एस0ए0
16.	जैविक खेती समूह में प्रमाण पत्र के साथ	रू0 20,000 प्रति हेक्टेयर, रू0 40,000 प्रति लाभुक अधिकतम तीन वर्षो में	एन0एम0एस0ए0
17.	आनलाईन डाटा प्रबन्धन तथा अवशेष विश्लेषण	रू0 200 प्रति किसान, अधिकतम रू0 5,000 प्रति समूह प्रति अधिकतम 1 लाख प्रति परिषद् अवशेष जांज 10,000 प्रति नमूना	एन0एम0एस0ए0
18.	जैविक खाद का प्रबंधन/जैविक गांव	रू010 लाख प्रति गांव समन्वित खाद्य प्रबन्धन समूह में /स्वयं सेवी संस्था द्वारा अधिकतम 10 गांव प्रति वर्ष प्रति राज्य	एन0एम0एस0ए0
19.	जैविक खेती पर प्रत्यक्षण	रू0 20,000 प्रति प्रत्यक्षण 50 किसानों समूह के लिए	एन0एम0एस0ए0
20.	समस्या वाली मिट्टी का सुधार	क्षारिय मिट्टी सुधार खर्च का 50% अधिकतम रू0 25,000 प्रति हेक्टेयर रू050,000 प्रति लाभुक आम्लिक मिट्टी का सुधार खर्च का का 50% अधिकतम रू0 3,000 हेक्ट रू0 6,000 प्रति लाभुक	एन0एम0एस0ए0

किससे सम्पर्क करें?

जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी आत्मा।

2. बीज

क्या करें ?

- स्थानीय जलवायु के अनुसार सिफारिश की गई किस्मों का उपयोग तथा बीज दर एवं दूरी अपनायें।
- गेहूँ, धान, जौ, दलहन, (अरहर को छोड़ कर), तिलहन (राई, सरसों, सूरजमुखी को छोड़कर), मक्का आदि के बीच 3 वर्ष में एक बार, अरहर, राई, सरसों, सूरजमुखी के बीज 2 वर्ष में एक बार एवं संकर / बीटी बीज प्रति वर्ष बदले।
- केवल अधिकृत एजेंसियों से प्रमाणित/ मूल बीज प्राप्त करें और इन्हें ठंड़ा, सूखी और साफ जगह पर रखें।
- बोने के लिए उपचारित बीजों का उपयोग करें और बोने से पूर्व शुद्धता, गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता की जाँच कर लें।

क्या पाये ?

क्र0 सं0	फसल	प्रति किलोग्राम सहायता	योजना / घटक
1.	धान एवं गेहूँ संकर धान बीज	रू0 10 या मूल्य का 50 % जो कम हो रू0 50 या मूल्य का 50 % जो कम हो	एन0एफ0एस0एम
2.	बाजरा, ज्वार, रागी और जौ संकर बाजरा और संकर ज्वार	रू0 50 या मूल्य का 50 % जो कम हो रू0 15 या मूल्य का 50 % जो कम हो	एन0एफ0एस0एम
3.	सभी दलहन (अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना, राजमा, एवं मोठ	रू0 25 या मूल्य का 50 % जो कम हो	एन0एफ0एस0एम
4.	सभी तिलहन (मूंगफली, अलसी, तिल, सूरजमूखी, तोरिया, बीज, कुसुम और सरसों/राई, अरण्ड)	रू0 12 या लागत का 50 % जो कम हो संकर – खर्च का 50 % अधिकतम 25 रू0 प्रति किलों	एन0एम0ओ0ओ0पी0
5.	ऑयल पाम अंकुर	किसानों के सम्पूर्ण भूमि धारिता के लिए आयलपाम अंकुर के लिए रू0 8,000 प्रति हेक्टेयर की सीमा के साथ लागत का 85%	एन0एम0ओ0ओ0पी0
6.	सभी कृषि फसलों के लिए कृषकों द्वारा संचित बीज की गुणवता के सुधार हेतु, गुणवताप्रद बीजों के उत्पादन के लिए आधार/प्रमाणित बीजों की वितरण	बीजों की लागत का 50% धान्य के लिए, 60% तेलहन, दलहन, हरीखाद बीजों के लिए	एन0एम0ए0ई0टी0, एस0एम0एस0पी0 बीज ग्राम योजना
7.	आधार/प्रमाणित बीज, तेलहन, दलहन, हरी खाद का वितरण के लिए किसानों तथा स्वयं सहायता समूह के लिए (भारत सरकार का हिस्सा 75% राज्य सरकार का हिस्सा 25 %)	75% बीज का खर्च तेलहन, दलहन, चारा हरी खाद	एन0एम0ए0ई0टी0/ एस0एम0एस0पी0 बीज ग्राम योजना
8.	ऑयलपाम में निषेचन अवधि के लिए खेती	50% खर्च का तीन साल के समय का अधिकतम रू014,000	एन0एम0ओ0ओ0पी0
9.	जूट और मेस्ता (बीज ग्राम योजना)	रू0 5,500 प्रति क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन पर	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (वाणिज्य फसल जूट)
10.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद / राज्य कृषि विश्वविद्यालय से तेलहन के प्रजनक बीज खरीद पर	प्रजनक बीज का पूरा मूल्य (बीज इकाई द्वारा निर्धारित)	एन0एम0ओ0ओ0पी0

आधार एवं प्रमाणित बीज के उत्पादन पर सहायता			
11.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय से दलहन के प्रजनक बीज के खरीद पर	प्रजनक बीज का पूरा मूल्य (बीज इकाई द्वारा निर्धारित)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
12.	बीज उत्पादन को नीजी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए तथा स्वयं सहायता समूह के लिए	परियोजना के खर्च का 40% समान्य क्षेत्रो तथा 50% पहाड़ी क्षेत्रो में तथा पिछड़ा क्षेत्रों में अधिकतम 1.50 लाख प्रतियोजना	एन0एम0ए0ई0टी0, एस0एम0एस0पी0 बीज ग्राम योजना
(सी) सभी तेलहन फसलों के लिए			
13.	आधार बीज उत्पादन के लिए सहायता	1000 रू0 प्रति क्विंटल सभी किस्म के संकरबीज (10वर्ष पुराने किस्म पर) तथा 100 रू0 प्रति क्विंटल अतिरिक्त सहायता (5 वर्ष पुराने किस्म पर) किसानों को 75% अनुदान, बीज उत्पादक एजेन्सीयों को 25% अनुदान	एन0एम0ओ0ओ0पी0
14.	प्रमाणित बीज का उत्पादन	वहीं	एन0एम0ओ0ओ0पी0
15.	बीज संरचना विकास	11वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित सहायता जारी रहेगा अधिकतम कुल खर्चो का 1% (बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पूरे समय के लिए)	एन0एम0ओ0ओ0पी0
16.	प्रभेद विशेष लक्ष्य बीज उत्पादन	बीज उत्पादन खर्च का 75% सहायता राज्य सरकारी एजेन्सी, भारतीय कृषि अनुसंसधान परिषद्, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विकास केन्द्र को (संकर बीज की किस्म 5 साल से अधिक पुराना नहीं हो)	एन0एम0ओ0ओ0पी0

किससे सम्पर्क करें?

जिला कृषि पदाधिकारी, बीज प्रमाणीकरण पदाधिकारी, राज्य बीज निगम, परियोजना पदाधिकारी आत्मा।

३. सिंचाई

क्या करें?

- अच्छी कृषि पद्धतियों के माध्यमों मिट्टी और पानी का संरक्षण करें।
- चेक बाँधों और तलाबों के द्वारा वर्षा के पानी का संचयन करें।
- जल भराव क्षेत्रों में फसल विविधीकरण बीच उत्पादन ओर पौधशाला लगायें।
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली- बूँद-बूँद व छिड़काव सिंचाई अपनायें यह 30-37 प्रतिशत पानी बचाती है और इससे फसलों की गुणवता, उत्पादकता और उत्पादन भी बढ़ जाता है।

क्या पायें ?

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता को पैमाना अधिकतम सीमा	स्कीम घटक
1.	पानी के पाइप	रू0 25प्रति मीटर या खर्च का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अधिकतम सीमा 6000मी0 तथा खर्च रू0 15,000	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
2.	ऑयल पाम्प के लिए डिप सिंचाई प्रणाली	टिकाऊ खेती पर राष्ट्रीय मिशन के मापदंडों के अनुसार	एन0एम0ओ0ओ0पी0
3.	प्लास्टिक/आर0सी0सी0 आधारित जलसंचय रचना तालाब सामुदायिक तलाब का निर्माण 100x 100x3 मी0छोटे तालाब के लिए इसी अनुपात में।	मैदानी क्षेत्रों में रू0 20 लाख, पर्वतीय क्षेत्रों में रू0 25 लाख 10 हे0 कमांड क्षेत्र के लिए	एन0एच0एम
4.	तलाब/कुआँ 20 x 20 x 3 मी0 छोटे तालाब के लिए इसी अनुपात में।	मैदानी क्षेत्र में 1.50 लाख प्रति लाभुक पहाड़ी क्षेत्र में 1.80 लाख प्रति लाभुक (2 हे0 कमांड क्षेत्र के लिए)	एन0एच0एम
5.	दलहन तथा तेलहन फसल के लिए स्प्रिकलर सिंचाई उपकरण	मूल्य का 50% या 10,000रू प्रति हे0 (जो भी कम हो)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
6.	(अ) रिसाव क्षति को कम करने के लिए नए खेत तालाबों को लाईनिंग के साथ निर्माण	40,000 रू0 (20X20X3मी0) निर्माण तथा 40,000 रू0 लाईनिंग व्यवस्था के लिए	एन0एम0ओ0ओ0पी0
	(ब) जल संचय संरचना/तालाब	खर्च का 50% अधिकतम मैदानी क्षेत्रों में रू075,000 तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रू090,000 लाईनिंग के साथ	एन0एम0ओ0ओ0पी0
7.	ऑयल पाम्प उत्पादकों के लिए डिजल पम्प सेट	खर्च का रू050%, अधिकतम रू015,000, 10 अश्वशक्ति के पम्प	एन0एम0ओ0ओ0पी0
8.	बोर वेल (पूर्वी भारत में हरित कान्ति का विस्तार)	100% सहायता, अधिकतम रू0 30,000 प्रति ईकाई	पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति का विस्तार
	बोर वेल (ऑयल पाम्म उत्पादकों के लिए)	50% सहायता, अधिकतम रू025,000 प्रति ईकाई	एन0एम0ओ0ओ0पी0
9.	छिछला ट्यूब वेल	100% सहायता अधिकतम रू012,000	पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति का विस्तार
10.	पम्पसेट (10 अश्वशक्ति)	रू010,000 प्रतिपम्प या खर्च का 50% (जो भी कम हो)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

जल प्रबन्धक टिकाऊ खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन0एम0एस0ए0) के अन्तर्गत

क्र.स.	जल प्रंबधन	निर्माण खर्च का 50प्रतिशत	स्कीम घटक
1. 1(a)	जल संचय प्रणाली (व्यक्तिगत)	मैदानी क्षेत्र निर्माण खर्च का रू0125 प्रतिधनमीटर अधिकतम रू075,000 पहाड़ी क्षेत्र के लिए निर्माण खर्च का रू0 150 प्रति धनमीटर, अधिकतम रू090,000 छोटे तालाब, कुएं इसी अनुपात में।	एन0एम0 एस0ए0
1. 1(b)	तालाब लाइनिंग निर्माण (मनरेगा के अन्तर्गत)	खर्च का 50% अधिकतम, रू0 25,000 प्रति तलाब	वहीं
1.2	जल संचय प्रणाली (सामुदायिक तालाब, चैकडेम, प्लास्टिक तथा आर0सी0सी0 लाइनिंग के साथ)	खर्च का 100% मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम रू020 लाख पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम रू025 लाख (10हे0 कमांड क्षेत्र के लिए) छोटे तालाबों के लिए इसी अनुपात मे। गैर लाईनिंग वाले तलाब में 30% कम खर्च देय होगा।	वहीं
1.3	ट्यूब वेल/बोरवेल (छिछला मध्यम) का निर्माण	खर्च का 50 %, अधिकतम 25,000 रू0 प्रति ईकाई	वहीं
1.4	छोटे तालाबों का नवीकरण	खर्च का 50 %, अधिकतम 15,000 रू0 प्रति ईकाई	वहीं
1.5	पाईप वितरण प्रणाली	खर्च का 50 %, अधिकतम 10,000 रू0 प्रति हे0 अधिकतम सहायता प्रति लाभुक/प्रति समूह 4 हे0 तक	वहीं
1.6	जल उठाव संचय (बिजली, डिजल, पवन, और सौर उर्जा)	खर्च का 50%, अधिकतम रू015,000 (बिजली, डिजल) प्रति ईकाई अधिकतम रू050,000 (पवन, सौर उर्जा) प्रति ईकाई	वहीं
ड्रिप सिंचाई			
2.	ड्रिप सिंचाई	25-35 % खर्च का (समान्य वर्षा क्षेत्रों में) 35-50 % खर्च सुखाड़ तथा पूर्वोतर क्षेत्रों में अतिरिक्त सहायता 10% राज्य सरकार द्वारा, अधिकतम 5 हे0 प्रति लाभुक	वहीं
3.	स्प्रिंकलर सिंचाई	माइक्रोस्प्रीकलर रू0 58,900 प्रति हे0 मीनी स्प्रीकलर रू0 85,200 प्रति हे0 पोर्टेबुल स्प्रीकलर रू0 19,600 प्रति हे0 अर्धस्थाई प्रणाली- रू0 31,600 प्रति हे0 (प्रतिव्यक्ति अधिकतम 5 हे0 तक)	वहीं

किससे सम्पर्क करें ?

जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, परियोजना निदेशक आत्मा।

4. किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रसार

क्या करें ?

1. आत्मा के माध्यम से संचालित विस्तार सुधार योजना के अन्तर्गत प्रखण्ड एवं निचला स्तर पर 25,000 विस्तार कर्मियों की तैनाती की जा रही है। किसान अपने क्षेत्र के लिए उचित तकनीकी ज्ञान सरकार के किसी भी कार्यक्रम या योजना अथवा कृषि संबंधित जानकारी के लिए इन विस्तार कर्मियों से संर्पक करें।
2. फार्म स्कूल या प्रत्यक्षण में भाग ले, बेवसाईट से ठीक से सूचना प्राप्त करें तथा अपने कृषि क्षेत्र को हस्तचालित यंत्रों से पंजीकृत करें।

- कृषि संबंधित नवीनतम ज्ञान व सूचना प्राप्त करने के लिए दूरदर्शन (18 क्षेत्रीय केन्द्र एक राष्ट्रीय केन्द्र तथा 180कम क्षमता के ट्रान्समीटर एफएम इंडिया स्टेशन (96) तथा कुछ निजी चैनलों पर प्रसारित कृषि कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते है।
- किसान कॉल सेन्टर/विशेषज्ञों के माध्यमों से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए नजदीकी किसान कॉल सेन्टर टोल फ्री न0 (1800-180-1551) साल के 365 दिन प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।
- कृषि में निर्धारित योग्यताधारी राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध्ध संस्थान मैनेज द्वारा मान्य किसी भी राज्य स्थित नोडल संस्थान से 2 माह का निःशुल्क प्रत्यक्षण प्राप्त करके अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते है। एग्रीक्लिनिक हेतु स्वीकृत ऋण दर पर 36% अनुदान, (अनुसुचित जाति/जनजाति/ पूर्वोतर व पर्वतीय राज्यों में 44% अनुदान उपलब्ध है)
- प्रगतिशील किसानों के लिए आयोजित परिभ्रमण तथा प्रशिक्षणों में भाग लें।
- स्थानीय सूचना / जानकारी बिना इन्टरनेट के बेव से अपने मोबाइल पर प्राप्त करें।
- कृषि कार्य निदेश, डीलरों की सूचि, फसल संबंधी सलाह आदि प्राप्त करने के लिए सीधे अथवा इन्टरनेट के माध्यम से किसान पोर्टलको देखें या एस0एम0एस0 करें (किसान रजिस्ट्रेशन < आपका नाम > राज्य का नाम का चार अक्षर < जिला का नाम > टाइप कर 51969 या 9212357123 पर भेजें।

क्या पाये ?

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम /घटक
1.	50-150कृषकों के समूह के लिए बीज उत्पादन ओर बीज प्रौधोगिकी पर प्रशिक्षण	रू0 1,500 प्रति समूह	बीज ग्राम कार्यकम
2.	कृषकों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता जिसमें छात्रवृति, तथा रहने आने जाने का खर्च दिया जायेगा।	रू0 5,200 प्रति कृषक प्रतिमाह	कटाई उपरान्त प्रौधोगिकी प्रबन्धन
3.	कृषक प्रशिक्षण	रू0 24,00 प्रति प्रशिक्षण (30 किसानों के लिए 2 दिन का) रू0 400 प्रति किसान प्रतिदिन की दर से	एन0एम0ओ0ओ0पी0
4.	पौधा संरक्षण पर प्रशिक्षण (40 किसानों का समूह)	(क) रू0 29,200 प्रति फार्म स्कूल नीजी क्षेत्र / गैर सरकारी संस्थान (ख) रू0 26,700 राज्य सरकारी क्षेत्र में।	पौधा संरक्षण योजना
5.	विभिन्न कृषि यंत्रो के मरम्त, रख रखाव, तथा चालन पर प्रशिक्षण	रू0 4,000 प्रति व्यक्ति	एस0एम0ए0एम0
6.	सब्जी उत्पादन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण	रू0 1,500 प्रति किसान प्रशिक्षण (परिवहन खर्च अतिरिक्त)	शहरी क्षेत्रों में. सब्जी की खेती (भी0आई0यू0सी0)

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम /घटक
7.	15-20 कृषकों के संगठन सदस्यों तथा वित्तीय संस्थानों से जुड़ाव	रू0 4,075 प्रति किसान (3 बार में 3 वर्षों में)	शहरी क्षेत्रों में सब्जी की खेती
8.	ग्रामिण भंडारण योजना हेतु किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर में कार्यक्रम (तीन दिवसीय)	रू0 30,000 प्रति कार्यक्रम	ग्रामीण भंडारण योजना
9.	किसानों के लिए अन्तर राज्य प्रशिक्षण (50 मानवदिवस/ब्लॉक)	रू0 1,250 प्रतिकिसान प्रतिदिन जिसमें परिवहन, रहने, खाने का खर्च शामिल है	आत्मा योजना (एन0एम0 ए0ई0टी0 एन0एच0एम0)
10.	किसानों के लिए राज्य के अंदर प्रशिक्षण (100 मानव दिवस/ब्लॉक)	रू0 1,000 प्रति किसान प्रतिदिन जिसमें परिवहन, रहने, खाने का खर्च शामिल है	आत्मा योजना (एन0एम0 ए0ई0टी0 एन0एच0एम0
11.	किसानों के लिए जिले के अंदर प्रशिक्षण (1000 मानव दिवस /ब्लाक)	रू0,400 प्रति किसान प्रतिदिन जिसमें परिवहन, रहने, खाने का खर्च शामिल है गैर अवासीय प्रशिक्षण रू0250 प्रति किसान प्रतिदिन	आत्मा योजना (एन0एम0 ए0ई0टी0 एन0एच0एम0
12.	प्रत्यक्षण (125 प्रत्यक्षण /ब्लॉक)	रू0 4,000 प्रति प्रत्यक्षण (0.4 हे0 का)	आत्मा योजना (एन0एम0 ए0ई0टी0 एन0एच0एम0
13.	फार्म स्कूल (25 किसान प्रति मौसम फसल के 6 स्तर पर)	रू0 29,514	आत्मा योजना (एन0एम0 ए0ई0टी0 एन0एच0एम0
14.	7 दिनों के लिए अन्तर राज्यकीय परिभ्रमण (5 किसान/ ब्लॉक)	रू0 800 प्रति किसान प्रतिदिन, परिवहन रहने खाने का खर्च शामिल है	आत्मा योजना (एन0एम0 ए0ई0टी0 एन0एच0एम0
15.	5 दिनों के लिए राज्य के अंदर भ्रमण (25 किसान/ ब्लॉक)	रू0 400 प्रति किसान प्रतिदिन परिवहन रहने खाने का खर्च शामिल है	आत्मा योजना (एन0एम0 ए0ई0टी0 एन0एच0एम0
16.	3 दिनों के लिए जिले में भ्रमण (100 किसान/ब्लॉक)	रू0 300 प्रति किसान प्रतिदिन परिवहन, रहने खाने का खर्च शामिल है।	आत्मा योजना (एन0एम0 ए0ई0टी0 एन0एच0एम0
17 (क)	किसान समूहों का क्षमता निर्माण, कौशल विकास (20समूह/ब्लॉक)	रू0 5,000 प्रति समूह	आत्मा योजना (एन0एम0 ए0ई0टी0 एन0एच0एम0
	इन समूहों को आमदनी जनक कार्य के लिए एकमुश्त बीज राशि	रू0 10,000 प्रति समूह	आत्मा योजना (एन0एम0 ए0ई0टी0 एन0एच0एम0
(ख)	खाद्य सुरक्षा समूह (2समूह/ब्लॉक)	रू0 10,000 प्रति समूह	आत्मा योजना (एन0एम0 ए0ई0टी0 एन0एच0एम0
18	मिट्टी जाँच प्रयोगशाला द्वारा चुने हुए गाँवों में फन्टलाईन प्रत्यक्षण	रू0 20,000 प्रति प्रत्यक्षण	मृदा स्वास्थय एवं उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना
19.	उत्पादन तकनीक पर खेत स्तरीय प्रत्यक्षण अन्तर फसल	रू0 8,000 प्रति हे0 (रू0 7,000 उपादान के लिए, 1,000 अन्य खर्च)	एन0एफ0एस0एम0
20.	वैकल्पिक तकनीक पर खेत स्तरीय प्रत्यक्षण	रू0 20,000 प्रति प्रत्यक्षण (रू0 17,000 उपादान रू0 3,000)	एन0एफ0एस0एम0 कर्मशियल फसल जूट
21.	खेत स्तरीय प्रत्यक्षण (उत्पादक तकनीक पर/अन्तर फसल)	रू0 8,000 प्रति हे0 (रू0 7,000 उपादान रू0 1000 अन्य खर्च)	एन0एफ0एस0एम0 कर्मशियल फसल जूट
22.	खेत स्तरीय प्रत्यक्षण (संयुक्त फसल प्रबन्धन पर)	रू0 7000 रू0 (6,000 उपादान रू0 1000 अन्यखर्च)	एन0एफ0एस0एम0 कर्मशियल फसल कपास
23.	खेत स्तरीय प्रत्यक्षण (देशी तथा ई0एल0एस0 कपास उत्पादन)	रू0 8000 हे0 (रू0 7000 उपादान रू0 1000 अन्य खर्च)	एन0एफ0एस0एम0 कर्मशियल फसल कपास
24	खेत स्तरीय प्रत्यक्षण (अन्तर फसल पर) 0.4 हे0 आकार	रू0 7,000 हे0 (रू0 6,000 उपादान रू0 1,000 अन्यखर्च)	एन0एफ0एस0एम0 कर्मशियल फसल कपास

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम /घटक
25	उच्चधन्त्व रोपण प्रणाली	रू0 9,000 प्रति हे0 (रू0 8,000 उपादान रू0 1,000 अन्यखर्च)	एन0एफ0एस0एम0 कर्मशियल फसल कपास
26.	ईख में अन्तर फसल पर प्रत्यक्षण	रू0 8,000 हे0 (रू0 7,000 उपादान रू0 1,000 अन्य खर्च)	एन0एफ0एस0एम0 कर्मशियल फसल ईख
27.	राज्य द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य विश्वविद्यालय, अन्तर देशीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ समूह प्रत्यक्षण	रू0 7,500 मोटे अनाज, रू0 12,500 फसल प्रणाली प्रत्यक्षण	एन0एफ0एस0एम0 कर्मशियल फसल ईख
28.	फसल प्रणाली पर प्रशिक्षण	रू0 14,000 प्रति प्रशिक्षण (चार सत्र में रू0 3500 के दर से)	एन0एफ0एस0एम0
29.	ट्रेक्टर चालन तथा रखरखाव (प्रशिक्षण)	रू0 1,200 प्रति, किसान छात्रवृति आने जाने तथा रहने का खर्च अतिरिक्त	कृषि यंत्रो का विकास एवं मजबूतीकरण
(बी):	**टिकाउ खेती के लिए प्रशिक्षण एवं प्रसार (एन0एम0एस0ए0)**		
30.	कृषकों को उन्नत खेती पर प्रशिक्षण प्रत्यक्षण समन्वित खेती मौसम परिवर्तन	रू0 10,000 प्रशिक्षण (20 किसानों के लिए) रू0 20,000 प्रत्यक्षण (50किसानों के लिए)	एन0एफ0एस0एम0
31.	जल प्रबंधन पर प्रशिक्षण	रू0 50,000 प्रशिक्षण (30 किसानों के लिए) दो से तीन दिन के लिए	एन0एफ0एस0एम0
32.	मृदा स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण एवं प्रत्यक्षण	रू0 10,000/प्रशिक्षण (20 किसानों के लिए) रू0 20,000 प्रति क्षेत्र प्रत्यक्षण	एन0एफ0एस0एम0
33.	बीज उत्पादन बीज तकनीकी के प्रशिक्षण 50 से 150 किसानों का समूह	रू0 15,000 प्रशिक्षण (3 एक दिवसरीय प्रशिक्षण) (क) बोने के समय (ख) फूल निकलने के समय (ग) कटनी के पश्यात् बीज उत्पादन के समय	बीज ग्राम योजना तेलहन, दलहन, चारा एवं हरी खाद फसलों का प्रमाणित बीज उत्पादन

किससे सम्पर्क करें?

जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, परियोजना निदेशक आत्मा।

5. कृषि ऋण

क्या करें?

- अपने आपको सूदखोरों के चंगुल से मुक्त रखने के लिए किसान बैंकों से कृषि ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते है।
- किसानों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सुविधा देश भर में फैले वाणिज्यिक बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  और सहकारी ऋण संस्थाओं के विशाल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध है।
- बैंक ऋण का समय से भुगतान सुनिश्चित करें।
- किसानों को अपने ऋण का समुचित ब्यौरा रखना चाहिए।
- बैंक ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करें, जिसके लिये ऋण लिया गया है।

क्या पायें ?

क्र.सं.	ऋण सुविधा	सहायता का पैमाना
1.	ब्याज सहायता	प्रति वर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर रु0 3 लाख के मूलधन तक फसल ऋण चुकता करने पर 3 प्रतिशत ब्याज की छूट।
	प्रतिभूति की आवश्यकता	एक लाख रूपये तक के कृषि ऋण के लिए किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नही है।
2.	किसान केडिट कार्ड	किसानों को फसल ऋण सुविधा किसान केडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध है। ऋण सीमा किसान द्वारा जोती गई जमीन और बोई जाने वाली फसल पर 3 से 5 साल के लिए निर्धारित की जाती है। फसल ऋण फसल बीमा के अन्तर्गत होते है।
3.	निवेश ऋण	किसानों को उनके निवेश उद्देश्य जैसे : सिंचाई, कृषि मशिनीकरण, भूमि विकास, रोपण, बागवानी एवं कटाई उपरांत प्रबंधन इत्यादि के लिये भी बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध है।

किससे सम्पर्क करें?

निकटतम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक या सहकारी ऋण संस्थाओं से संपर्क करें।

6. कृषि बीमा

क्या करें?

- फसल बीमा अपनाकर अपने आप को अनजाने जोखिमों, अनिश्चिताओं, प्रतिकुल मौसम आदि से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें।
- अपने क्षेत्र में लागू उचित फसल बीमा योजना का लाभ उठायें। इस समय मुख्यतः चार बीमा योजनायें, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन0ए0आई0एस0) (25राज्यों/2 संघ शासित क्षेत्रों में), संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम0एन0ए0आई0एस0) (21 राज्यों के 50 जिलों में), मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्लू0बी0सी0आई0एस0) (21 राज्यों में) एवं नारियल पाम बीमा योजना (सी0पी0आई0एस0) (8 राज्यों में) क्रियान्वित की जा रही है।
- यदि आप अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण ले रहें है तो आप के लिए एन0ए0आई0एस0/एम0एन0ए0आई0एस0/डब्लू0बी0सी0आई0एस0 के अन्तर्गत फसल बीमा कवरेज अनिवार्य है ऋण नहीं लेने वालें किसानों कि लिए यह कवरेज स्वैच्छिक है फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी से संपर्क कर सकते है।

क्र.सं.	स्कीम/घटक	सहायता के प्रकार
1.	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन0ए0आई0एस0)	• अधिसूचित खाद्य फसले, तिलहन एवं वार्षिक बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा सुरक्षा • अधिसूचित फसलों के लिए बीमांकित प्रीमियम दर वसूल की जाती है। • प्रीमियम के स्तर के आधार पर सभी प्रकार के किसानों को प्रीमियम में 40 से 75 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है (2प्रतिशत तक-शुन्य, 2-5 प्रतिशत-40 प्रतिशत-कम से कम 2प्रतिशत निवल प्रीमियम की शर्त के साथ, 5-10 प्रतिशत-50 प्रतिशत कम से कम 3 प्रतिशत निवल प्रीमियम की शर्त के साथ,10-15 प्रतिशत-60 प्रतिशत-कम से कम 5 प्रतिशत निवल प्रीमियम की शर्त के साथ, 15 प्रतिशत-75 प्रतिशत-कम से कम 6 प्रतिशत निवल प्रीमियम की शर्त के साथ) • यदि प्रतिकूल मौसम/जलवायु के कारण बुआई नहीं हो पाती है ता बुआई में रूकावट /रोपाई जोखिम के लिए बीमित राशि का 25 प्रतिशत तक का दावा/ क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाता है। • यदि अधिसूचित फसल का उत्पादन गांरटीशुदा उपज से कम होता है तो सभी बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति के भुगतान उत्पादन में भी हुई कमी के आधार पर किया जाता है। • तथापि संभावित दावे का 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के रूप में तत्काल राहत के लिए किया जायेगा।
2.	मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्लू0बी0सी0आई0एस0)	• अधिसूचित खाद्य फसले, तिलहन एवं वार्षिक बागवानी/ वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा सुरक्षा • अधिसुचित फसलों के लिए बीमांकित दर, प्रीमियम दर, अधिकतम 10 और 8 प्रतिशत अधिकतम खरीफ एवं रबी में और 12 प्रतिशत प्रीमियम के साथ वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए वसूल की जाती है। (अ) 2% प्रतिशत तक शुन्य अनुदान। (ब) 2से अधिक 5%तक 25% अनुदान। (स) 5 से अधिकतत 8% 40% अनुदान। (द) 8 से अधिक 50%तक अनुदान दी जाती है।

क्र.सं.	स्कीम/घटक	सहायता के प्रकार
		• यदि मौसम सूचकांक (वर्षा/तापमान/आपेक्षिक आर्दता/हवा की गति आदि) में अधिसूचित फसल के गारन्टीशुदा मौसम सूचकांक से परिर्वनत कमी या वृद्धि होता है, तो अधिसूचित क्षेत्र के सभी किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान अन्तर अथवा कमी के समतुल्य किया जाता है।
3.	नारियल पाम बीमा योजना (सी0पी0आई0एम0)	• नारियल पाम उत्पदकों के लिए बीमा सुरक्षा • प्रति पाम प्रीमियम दर का रू09:00(4 से 15 वर्ष की आयु सीमा में) से रू014:00 (16 से 60 वर्ष की आयु सीमा में) • सभी श्रेणी के किसानों को प्रीमियम में 50 से 75 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। • पाम फसल क्षतिग्रस्त होने के स्थिति में अधिसूचित क्षेत्रों के सभी बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान आदानों के मूल्य में नुकसान/ क्षति के समतुल्य देय होता है।

किससे सम्पर्क करें?

निकटतम बैंक शाखा, जनरल इन्शयोरेन्स, ऋण एवं सहकारी समिति एवं जिला कृषि पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क करें।

7. पौधा संरक्षण

क्या करें?

- गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई करें।
- फसलों की प्रतिरोधी किस्मों जैसे बीटी कपास आदि का चयन करें एवं फसल चक्र, अन्तःफसल, ट्रैप क्रॉप अपनाकर कीट नियंत्रण करें।
- लाइट ट्रैप व चिपकने वाली ट्रैप का प्रयोग करें।
- जैविक नियंत्रण के लिए परजीवी एवं कीट जीवों (मित्र कीट) का उपयोग करें।
- कीट नियंत्रण के सेक्स फीरोमोन ट्रैप, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु (एनपीवी), स्यूडोमोनास और ट्राइकोग्राम कार्ड का प्रयोग करें।
- जैविक व नीम आधारित कीटनाशकों को प्रोत्साहित करें।
- यदि ऊपर लिखे हुए उपाय काम न आये तो ही रासायनिक कीटनाशकों को प्रयोग विशेषज्ञों की सिफारिश के अनुसार ही करें और निम्नलिखित सावधानियां बरतेः

(1) रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते समय सुरक्षा के उपाय अपनायें।
(2) कीटनाशकों का छिड़काव करते समय सुरक्षा के साधन जैसे मास्क, दस्ताने आदि का प्रयोग करें।
(3) हमेशा छिड़काव हवा की दिशा में करें और अपने आप को छिड़काव से सुरक्षित रखें।
(4) कीटनाशकों, पादप रक्षा यंत्रों आदि को बच्चो ओर पालतू पशुओं की पहुंच से दूर, ताले में रखें।
(5) कीटनाशक क्रय करते समय इनकी पैकिंग व वैधता की तारिख अवश्य देख लें।
(6) कीटनाशक विष से प्रभावित होने पर तुरन्त डाक्टर से संपर्क करें तथा कीटनाशक के डिब्बे व निर्देश पुस्तिका साथ ले जाएं।
(7) कीटनाशी का प्रयोग दिए गए अनुदेश के अनुसार करें।
(8) व्ययहृत बर्तनों को दिए गए अनुदेश के अनुसार नष्ट करे दे।

क्या पायें?

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का पैमाना/ अधिकतम सीमा	स्कीम/ घटक
1.	पौधा संरक्षण निदेशालय, फरिदाबाद, हरियाणा अपने 31 केन्द्रों द्वारा किसानों के लाभ के लिए कार्यक्रम चलाते है।		एन0एम0ए0इ0टी0/ एस0एम0पी0पी0
(a)	दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों एन0जी0ओ0 कीटनाशनी डीलर के लिए गांवो तथा शहरों में कार्यक्रम	रू0 38,900 प्रति प्रशिक्षण	
(b)	पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यकम प्रगतिशील किसानों तथा प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए	रू0 1,52,100 प्रति प्रशिक्षण	
(c)	कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला विभिन्न सी0आई0 पी0एम0सी0 द्वारा सुनियोजित किया गया जाता है।	रू0 26,700 प्रति फार्म स्कूल	
(d)	कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा कृषि प्रक्षेत्र द्वारा पाठशाला	रू0 29,200 प्रति फार्म स्कूल	
2.	आई0पी0एम0, कीटनाशी समन्वित पोषण प्रबंधन इत्यादि	खर्च का 50प्रतिशत, अधिकतम रू05,000 प्रति हे0	ऑयलपाम क्षेत्र का विस्तार पर विशेष कार्यक्रम
3.	पौधा संरक्षण रसायन, जैविक कीटनाशी का वितरण	खर्च का 50प्रतिशत, अधिकतम रू0 500 प्रति हे0	एन0एफ0एस0एम0
4.	खरपतवार नाशक का वितरण	खर्च का 50प्रतिशत, अधिकतम रू0 500 प्रति हे0	एन0एफ0एस0एम0
5.	बागवानी फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन	रू0 1,000 प्रति हे0, अधिकतम 4 हे0 प्रति लाभुक	एन0एच0एम0/ एच0एम0एन0ई0एच

किससे संपर्क करे?

जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिंकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र प्रभारी, परियोजना निदेशक आत्मा।

8. समन्वित खेती

क्या करें?

- मौसम के अनुरूप फसल प्रणाली को बढ़ावा दें।
- फसल प्रणाली में पशुपालन, मतस्य पालन, बागवानी, डेयरी तथा कृषि–वन को शामिल करें।
- चेक डैम, तालाब, छिछला तथा गहरा ट्यूबवेल तथा कुआँ से सिंचाई करें।
- जल के समुचित उपयोग तथा नमी को बनाये रखने के लिए भूमि समतलीकरण या बंडिग, ट्रेंच, रीज तथा फरो विधि काम में लायें।

क्या पाये?

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का पैमाना	स्कीम / घटक
1.	धान, गेहुँ, दलहन, तेलहन का दो फसल का फसल प्रणाली	उपादान खर्च का 50प्रतिशत, अधिकतम रू0 10,000 (अधिकतम 2 हे0 प्रति लाभुक)	एन0एम0एस0ए0
2.	बागवानी आधारित खेती प्रणाली (फल वृक्ष + फसल / फसल प्रणाली)	उपादान खर्च का 50प्रतिशत, अधिकतम 25,000 (अधिकतम 2 हे0प्रति लाभुक)	एन0एम0एस0ए0
3.	वृक्ष/चारागाह, घास, फसल आधारित फसल प्रणाली	खर्च का 50प्रतिशत, अधिकतम रू0 15,000 प्रति हे0 (अधिकतम 2 हे0 प्रति लाभुक)	एन0एम0एस0ए0
4.1	पशुधन आधारित खेती प्रणाली गाय + चारा + मिश्रित खेती भैस + चारा + मिश्रित खेती	खर्च का 50प्रतिशत (पशु का मूल्य, एक वर्ष खाने का खर्च) अधिकतम रू0 40,000 प्रति हे0 (2 दूधारू पशु + 1हे0 खेती प्रणाली) अधिकतम 2 हे0 प्रति लाभुक	एन0एम0एस0ए0
4.2	छोटे पशु + मिश्रित खेती + चारागाह मुर्गी + बतख + मिश्रित खेती मुर्गी + बतख + मछली + मिश्रित खेती	फसल प्रणाली के उपादान खर्च का 50प्रतिशत (पशु/पक्षी के मूल्य का खर्च, एक वर्ष चारा खर्च के साथ) अधिकतम रू025,000 प्रति हे0 (10 पशु / 50 चिड़िया + 1हे0 फसल प्रणाली) अधिकतम 2हे0 प्रति लाभुक	एन0एम0एस0ए0
5.	मछली पालन आधारित फसल प्रणाली	उपादान खर्च का 50प्रतिशत (फसल/सब्जी + मछली पालन) अधिकतम रू0 25,000 प्रति हे0, (अधिकतम 2 हे0 प्रति लाभुक)	एन0एम0एस0ए0
6.	वर्मी कम्पोस्ट ईकाई, जैविक उपादान उत्पादन ईकाई, हरी खाद	खर्च का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 125 प्रति घनफुट तक सीमित (अधिकतम रू0 50,000 प्रति ईकाई स्थाई संरचना के लिए तथा रू0 8,000 प्रति ईकाई वर्मी बेड के लिए), खर्च का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2,000 तक सीमित प्रति हे0 अधिकतम 2 हे0 प्रति लाभुक हरी खाद के लिए	एन0एम0एस0ए0
7.	साइलेज बनाना (हरा चारा सालो भर उपलब्ध कराने के लिए)	साइलेज गड्ढा (2100 से 2500 घनफुट) ईंट और सीमेंट से निर्माण, चारा काटने के मशीन तथा तौलने के लिए तराजू के साथ 100प्रतिशत सहायता के साथ अधिकतम रू01.25 लाख प्रति परिवार	एन0एम0एस0ए0
8.	वर्मी कम्पोस्ट ईकाई / जैविक उपादान उत्पादन ईकाई, हरी खाद	वर्मी कम्पोस्ट ईकाई का निर्माण, जैविक उपादान उत्पादन ईकाई का निर्माण तथा हरी खाद का निर्माण खर्च का 50प्रतिशत रू0 125 प्रति घनफुट अधिकतम रू050,000 स्थाई संरचना, रू0 8,000 प्रति ईकाई भरमीन के लिए, खर्च का 50 प्रतिशत चारा के लिए अधिकतम रू0 2000 प्रति हे0 अधिकतम 2हे0 प्रति लाभुक तक सीमित	एन0एम0एस0ए0
9.	फसलों के कटनी उपरान्त स्टोरेज / मूल्यवर्द्धन	छोटा ग्राम स्तरीय स्टोरेज/पैकेजिंक प्रति ईकाई अधिक मूल्य पाने के लिए, खर्च का 50प्रतिशत, रू0 4,000 प्रति वर्ग मी0 तक सीमित अधिकतम रू0 2.00 लाख प्रति ईकाई।	एन0एम0एस0ए0

किससे संपर्क करें?

जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, परियोजना निदेशक आत्मा।

9. बागवानी

क्या करें?

- बागवानी फसलें अपनायें और कम क्षेत्र से ज्यादा उत्पादन पायें।
- स्वस्थ्य फसल के लिए उच्च गुणवकता के पौध लगायें।
- शीत भण्डारण अपनाकर फल सब्जियां लम्बे समय तक ताजा रखें।
- सही कटाई विधि, सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण व पैकेजिंग अपनाकर अधिकतम लाभ उठायें।
- पॉली हाउस, शेडनेट, लो-टनल द्वारा बिना मौसम की सब्जियां भी पैदा करें।

क्या पायें?

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सब्सिडी	अधिकतम सब्सिडी /प्रति ईकाई	स्कीम घटक
बागवानी के अन्तर्गत सहायता				
1.	सब्जी बीज उत्पादन (अधिकतम 5 हे0 प्रति लाभार्थी)	35प्रतिशत समान्य क्षेत्र मे, 50प्रतिशत उत्तर पूर्वात्तर क्षेत्र अण्डमान निकोबार, लक्ष द्वीप टापू में	रू0 35,000 समान्य बीज के लिए रू0 1,50,000 संकर बीज के लिए	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
2.	हाईटेक पौधशाला (2-4हे0/ईकाई)	खर्च का 40प्रतिशत	रू0 25 लाख प्रति हे0	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
3.	छोटी पौधशाला (1हे0/ईकाई)	खर्च का 50प्रतिशत	रू0 15 लाख प्रति हे0	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
4.	नये बागों की स्थापना (अधिकतम 4 हे0प्रति लाभुक) (अ) फल ड्रीप के साथ	40प्रतिशत समान्य क्षेत्र 50प्रतिशत पूर्वोतर क्षेत्र में अन्डमान निकोबार लक्षद्वीप टापू (3 किस्तों में 60:20:20) पौधो के 75प्रतिशत दूसरे वर्ष तथा 90 प्रतिशत तिसरे वर्ष में बचने पर	0.40 प्रति हे0 से 0.20 लाख प्रति हे0	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
	(ब) फल (बिना ड्रिप क साथ)	वहीं	रू0 0.30 लाख प्रति हे0 से रू0 0.50 लाख प्रति हे0 तक	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
5.	**मसालों की फसल अधिकतम 4 हे0 प्रति लभ्यार्थी**			
	(अ) बीज और प्रकन्द वालें मसाले	40प्रतिशत समान्य क्षेत्र में 50प्रतिशत पूर्वातर क्षेत्र, टी0एस0पी0 क्षेत्र में	अधिकतम रू012,000 प्रति हे0 अधिकतम रू015,000 प्रति हे0	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
	(ब) बहुवार्षिक मसाले (काली मिर्च, सिनामन लौंग)	वहीं	अधिकतम रू0 20,000 प्रति हे0 अधिकतम रू0 25,000 प्रति हे0	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
6.	फूलों के बगीचे (लूज, केन्द्रीय एवं कट फलावर (अधिकतम 2 हे0/प्रति लभ्यार्थी	40प्रतिशत (छोटे और सीमान्त किसानों के लिए) 25प्रतिशत, अन्य किसानों के लिए 50प्रतिशत पूर्वोतर क्षेत्रों के लिए	अधिकतम 16,000प्रति हे0 से 60,000 प्रति हे0 तक	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
7.	सुगन्धित पौधों की खेती (अधिकतम 4 हे0 प्रति लाभार्थी)	40 प्रतिशत समान्य क्षेत्र में, 50 प्रतिशत पूर्वोतर क्षेत्र में	अधिकतम 16,000 से 40,000 प्रति हे0	राष्ट्रीय बागवानी मिशन

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सब्सिडी	अधिकतम सब्सिडी /प्रति ईकाई	स्कीम घटक
8.	रोपण फसल (जैसे –काजू, कोको पुनः रोपण भी शामिल)	40प्रतिशत समान्य क्षेत्र, 50 प्रतिशत पूर्वातर क्षेत्र में, (60:20:20 के तीन किस्तों में) (दूसरे वर्ष में 75प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में 90प्रतिशत पौधों के बचने पर	रू0 40,000 प्रति हे0 समन्वय के साथ रू0 20,000 प्रति हे0 समन्वय के बिना	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
9.	पुराने बागों का नवीनीकरण (2 हे0 प्रति लाभार्थी अधिकतम)	कुल खर्च का 50प्रतिशत	अधिकतम रू0 20,000 रू0 प्रति हे0	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
10.	**मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण (अधिकतम 50 कालोनी प्रति लाभार्थी)**			
	(a) मधुमक्खी कालोनी	खर्च का 50प्रतिशत	अधिकतम रू0800 प्रति कालोनी	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
	(b) मधुमक्खी के छत्ते	खर्च का 50प्रतिशत	रू0800प्रति छत्ता	
11.	**संरक्षित खेती**			
	(a) ग्रीन हाउस फैन व पैड सिस्टम 4,000 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी तक सीमित	50प्रतिशत (पहाड़ी क्षेत्रों में 15प्रतिशत अधिक)	रू0 700 से 825 प्रति वर्ग मीटर	
	प्राकृतिक वायु संचार व्यवस्था (अधिकतम 4,000 रू0 प्रति लाभार्थी)	50प्रतिशत (पहाड़ी क्षेत्रों में 15प्रतिशत अधिक)	(i)रू0 422 से 530 प्रति वर्ग मीटर ट्यूब संरचना (ii) रू0 270 लकड़ी संरचना प्रति वर्ग मी0 (iii) रू0225 प्रति वर्ग मी0 बाँस संरचना	
	(b) शेड नेट हाउस (1000 रू0 प्रति वर्ग मी0 लाभार्थी तक सीमित)	50प्रतिशत (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 15प्रतिशत अधिक)	रू0 355 प्रति वर्ग मी0 अधिकतम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
	बाँस व लकड़ी से बनी संरचना (अधिकतम 200 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी 5 ईकाई तक सीमित)	वहीं	रू0 180 वर्ग मी0 बाँस के लिए तथा 246 वर्ग मी0 लकड़ी के लिए	
	(c) प्लास्टिक मल्च	50प्रतिशत (पहाड़ी क्षेत्रों में 15प्रतिशत अधिक)	अधिकतम 16,000रू0 प्रति ईकाई	
	(d) प्लास्टिक सुरंग अधिकतम रू0 1000/वर्गमीटर प्रति लाभार्थी	50प्रतिशत (पहाड़ी क्षेत्रों में 15प्रतिशत अधिक)	रू0 300 प्रति वर्ग मीटर	
12.	**कटाई उपरान्त समन्वित प्रबंधन**			
	(a) पैक हाउस खेत स्तर पर संग्रहण एवं भंडारण ईकाई	50प्रतिशत अधिकतम	2लाख प्रति ईकाई (आकार 9 X 6 वर्ग मी0)	
	(b) समन्वित पैक हाउस ग्रैडिंग तथा सुविधा के साथ	35 प्रतिशत समान्य क्षेत्र में, 50 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र में	प्रति ईकाई रू0 17.50 लाख, (आकार 9X18वर्ग मी0)	

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सब्सिडी	अधिकतम सब्सिडी /प्रति ईकाई	स्कीम घटक
	(c) प्रीकुलिंग ईकाई	35 प्रतिशत समान्य क्षेत्र में, 50 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्रों में	रू08.75 लाख प्रति ईकाई 5 मै0 टन क्षमता के लिए	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
	(d) चलती फिरती प्रीकुलिंग ईकाई	वहीं	वहीं	
	(e) शीत गृह ईकाई (निर्माण विस्तार एवं आधुनिकीकरण)	वहीं	(क) रू0 2800 प्रति मी0 टन प्रकार I के लिए (ख) रू0 3500 प्रति मी0 टन प्रकार II के लिए (ग) रू0 3500 प्रति मी0 टन प्रकार II के साथ नियंत्रित वायुमंडल तकनीक	
	(f) फल पकाने का कमरा (अधिकतम 300 मी0 टन)	वही	अधिकतम रू0 0.35 लाख प्रति मी0 टन	
B.	**राष्ट्रीय बाँस मिशन (एन0बी0एम0)**			
13.	**(a) रोपण सामग्री का उत्पादन**			
	(i) हाई टेक पौधशाला (2हे0)	40प्रतिशत	रू0 16 लाख / ई0	एन0बी0एम0
	(ii) छोटी पौधशाला (0.5 हे0)	वही	रू0 5 लाख / ई0	
	(b) बाँस का क्षेत्रबर्द्धन (i) वन क्षेत्र (द्वारा, पंचायती राज, स्वयं सहायता समूह, महिला समूह	(i) खर्च का 100प्रतिशत तीन किस्तों में (50:25:25) तीन वर्षो में (ii) गैर वन क्षेत्र में 35प्रतिशत तीन किस्तों में, 3 वर्षो में (अधिकतम 4 हे0) रू0 10,500 ड्रीप सिंचाई के साथ	(i) अधिकतम रू0 42,000 प्रति हे0 (ii) 35प्रतिशत, तीन किस्तों में, तीन वर्षो में अधिकतम 4 हे0 प्रति लाभुक (iii) रू010,500 ड्रीप सिंचाई के साथ	
	(c) वर्तमान वन क्षेत्र की उन्नति	40प्रतिशत (2 हे0 प्रति लाभुक तक सीमित)	अधिकतम रू0 8,000/हे0	एन0बी0एम0
	(d) समन्वित कटाई उपरान्त प्रबन्धन			
	कटाई उपरान्त भंडाराण	खर्च का 40 प्रतिशत	अधिकतम रू010.00 लाख	एन0बी0एम0
(c): राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड				
14	**(a) वाणिज्य बागवानी का विकास** (i) खुला खेत की स्थिति	खर्च का 40प्रतिशत (समान्य क्षेत्र मे) 50% पूर्वातर क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र	रू030लाख प्रति ईकाई, 37.5लाख रू0 (खजूर,सेफरान, जैतून के लिए 2हे0 क्षेत्र के लिए)	एन0बी0एम0
	(ii) संरक्षित ढका हुआ	खर्च का 50 प्रतिशत	अधिकतम 56 लाख प्रति योजना	
	(iii) **समन्वित कटाई उपरान्त प्रबंधन** (पकाने का कमरा, वाहन, फुटकर वर्हिगमन कुलिंग ईकाई)	खर्च का 35प्रतिशत (समान्य क्षेत्रों में) 50प्रतिशत पहाड़ी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में	रू050.75 लाख प्रति योजना	एन0एच0बी0

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सब्सिडी	अधिकतम सब्सिडी /प्रति ईकाई	स्कीम घटक
	(b) शीत भंडारण ईकाई	खर्च का 35प्रतिशत (समान्य क्षेत्रों में) 50प्रतिशत पहाड़ी, पूर्वोतर क्षेत्र में (5000मी0टन) से अधीक	रू0 2660 प्रति मी0टन, प्रकार 1 रू0 3225 प्रति मी0टन, प्रकार 2 रू0 3500 प्रति मी0टन, प्रकार 3 नियंत्रित वायुमंडीलयं तकनीक के साथ	
(d) नारियल विकास बोर्ड				
15	**(a) गुणवता पूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण**			नारियल विकास बोर्ड सी0डी0बी0
	(i) संकर (बौना पौधा का वितरण सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र में)	(i) खर्च का 25प्रतिशत, अधिकतम 25,000 पौध प्रति एकड़	रू0 9.0 प्रति पौध	सी0डी0बी0
	(ii) न्युकलियस नारियल बगीचा	(ii) खर्च का 25प्रतिशत (अधिकतम 4 हे0)	रू0 15 लाख प्रति हे0	सी0डी0बी0
	(iii) छोटा नारियल पौघशाला	(iii) खर्च का 100प्रतिशत (पब्लिक/ नीजी क्षेत्र में)	रू0 2.0 लाख प्रति ईकाई, 0.4 हे0 प्रति ईकाई	सी0डी0बी0
	(b) नारियल के क्षेत्र में वृद्धि			
	(a) समान्य क्षेत्र में	खर्च का 25 प्रतिशत, अधिकतम 4 हे0 प्रति लाभुक (दो बार में)	रू0 7500प्रति हे0	सी0डी0बी0
	(b) पहाडी व पिछ्ड़ी क्षेत्र में	वहीं	रू0 15,000 / हे0	सी0डी0बी0
	(c) नारियल तकनीकी मिशन			
	(a) किट व रोग ग्रसित बागों का प्रबंधन तकनीकी का विकास एवं संग्रहण	50प्रतिशत विकास एवं प्रत्यक्षण के लिए, 25प्रतिशत संग्रहण के लिए	रू0 25 लाख विकास के लिए रू012.50 लाख प्रत्यक्षण के लिए रू06.25 लाख संग्रहण के लिए	
	(b) संसाधन का विकास, संस्करण तकनीक का विकास तथा संग्रहण	75 प्रतिशत विकास के लिए, 50 प्रतिशत प्रत्यक्षण के लिए, तथा 25 प्रतिशत संग्रहण के लिए	रू026.25लाख विकास के लिए, रू012.5 लाख प्रत्यक्षण के लिए रू06.25लाख संग्रहण के लिए	सी0डी0बी0
	(d) नारीयल के पुराने बागों का जीर्णोद्धार			
	(a) पुराने पेड़ो को काटना एवं हटाना	रू0 1000 प्रति पेड़, अधिकतम 32 पेड़ प्रति हे0	अधिकतम रू032,000 प्रति हे0	सी0डी0बी0
	(b) पुनः रोपण के लिए सहायता	खर्च का 50प्रतिशत, अधिकतम रू04,000 प्रति हे0	रू0 40 प्रति पौध	सी0डी0बी0
	(c) नारियल के बागों की उन्नति समन्वित प्रबंधन द्वारा	खर्च का 25 प्रतिशत दो बराबर किस्तों में	अधिकतम रू0 17,500 प्रति हे0	सी0डी0बी0
	(e) नारियल पौघो का बीमा योजना			
		किस्त का 75प्रतिशत (50प्रतिशत सी0डी0बी0 द्वारा 25प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा)	रू0 3.52 प्रति पेड़ 4 से 15 वर्ष के पेड़ो के लिए तथा रू04.76 प्रति पेड़ 16 से 60वर्ष पेडों के लिए	

किससे संपर्क करे?

जिला बागवानी पदाधिकारी, उपनिदेशक बागवानी तथा निदेशक बागवानी राज्य स्तर पर ।

10. कृषि मशीनरी और प्रौद्योगिकी

क्या करे?

- अपनी आवश्यकता एवं स्थानीय परिस्थितिया, जोत एवं फसल के अनुसार कृषि मशीनरी का चयन करें।
- किसान भाई मंहगी मशीनरी को भाड़े पर लेकर अथवा आपस में बांट कर प्रयोग करें।
- संसाधन बचाइये जीरो टिल सीड ड्रिल, लेजर लैण्ड लेवलर, रोटावेटर, हैप्पीसीड ड्रिल आदि का प्रयोग करें।
- कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालय से विधिवत उपयोग, सामायिक रख-रखाव एवं सफाई धुलाई करना सीखें।

क्या पायें?

सहायता का प्रकार-सब मिशन कृषि का यांत्रीकरण (एस0एम0ए0एम0)				
कृषि यंत्र का प्रकार	पिछड़ी जाति, जनजाति, सीमान्त किसान, महिला, पूर्वोत्तर राज्य के लाभुक		दुसरे लाभुकों के लिए	
	अधिकतम अनुदान	सहायता का प्रकार	अधिकतम अनुदान	सहायता का प्रकार
ट्रैक्टर				
(i) ट्रैक्टर (08से 20 एच0पी0) (ii) ट्रैक्टर (20 से 70 एच0पी0)	रू0 1.00 लाख रू0 1.25 लाख	35% 35%	रू0 0.75लाख रू0 1.00लाख	25% 25%
पावर टिलर				
(i) पावर टिलर 8 एच.पी. से कम (ii)2पावर टिलर 8 एच0पी0से अधिक	रू0 0.50 लाख रू0 0.75 लाख	50% 50%	रू0 0.40लाख रू0 0.60लाख	40% 40%
राईस ट्रान्सपलान्टर				
सेल्फ प्रोपेल्ड राईस ट्रान्सपलान्टर (4 पंक्ति)	रू0 0.94 लाख	50%	रू0 0.75लाख	40%
सेल्फ प्रोपेल्ड राईस ट्रान्सपलान्टर (i) 4-8 से अधिक पंक्ति (ii) 8-16 से अधिक पंक्ति	रू0 2.0 लाख	40%	रू0 2.0 लाख	40%
सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनरी				
सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनरी (i) रीपर-सह-बांईडर	रू0 1.25 लाख	50%	रू0 1.00लाख	40%
स्पेशल सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनरी				
(i) रीपर (ii) पोस्ट हॉल डिगर/औगर (iii) न्युमेटिक/अन्य रोपाई यंत्र	रू0 0.63 लाख	50%	रू0 0.50लाख	40%
सेल्फ प्रोपेल्ड बागवानी मशीनरी				
(i) फल पलकर (ii) वृक्ष छाटने का यंत्र (iii) फल कटनी का यंत्र (iv) फल ग्रेडिंग यंत्र (v) ट्रेक ट्रॉली (vi) नर्सरी मिडिया फिलिंग मशीन (vii) मल्टीप्रर्पस हाइड्रोलिक सिस्टम (viii) पॉवर ऑपरेट बागवानी छटाँई बडिंग टूल	रू0 1.25 लाख	50%	रू01.00 लाख	40%

कृषि यंत्रो को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता

कृषि यंत्र का प्रकार	पिछड़ी जाति, जनजाति, सीमान्त किसान, महिला, पूर्वोतर राज्य के लाभुक	दुसरे लाभुकों के लिए
	अधिकतम अनुदान	अधिकतम अनुदान
ट्रेक्टर/पॉवर टिलर द्वारा चालित यंत्र		
(a) भूमि विकास, जोताई और बीज क्षेत्र तैयार करने का यंत्र (i) मोल बोड हल (ii) डीस हल (iii) कल्टीवेटर (iv) हैरो (v) लेभलर ब्लेड (vi) केज व्हील (vii) फर्रो ओपेनर (viii) रीजर (ix) वीड सेलेसर (x) लेजर लैंड लेभेलर (xi) रीभरसीबुल मैकनीकल हल	(i) 20 बी0एच0पी0से कम द्वारा चालित रू0 15,000/- (ii) 20 बी0एच 0पी0 से अधिक द्वारा चालित रू0 19,000/-	(i) 20 बी0एच0पी0 से कम द्वरा चालित रू0 12,000/- (ii) 20 बी0एच0पी0 से अधिक द्वारा चालित रू0 15,000/-
(xii) रोटाभेटर (xiii) रोटो पेडलर (xiv) रीभरसीबुल हाइड्रोलिक हल	(i) 20 एच0पी0से कम द्वारा चालित रू0 35,000/- (ii) 20 एच0पी0 से अधिक द्वारा चालित रू0 44,000/-	(i) 20एच0पी0 से कम द्वारा चालित रू0 28,000 (ii) 20एच0पी0 से अधिक द्वारा चालित रू0 35,000/-
(xv) चीजल हल	(i) 20 एच0पी0 से कम द्वारा चालित रू0 8,000/- (ii) 20 एच0पी0 से अधिक द्वारा चालित रू0 10,000/-	(i) 20एच0पी0 से कम द्वारा चालित रू0 6,000/- (ii) 20एच0पी0 से अधिक द्वारा चालित रू0 8,000/-
ट्रेक्टर/पॉवर टिलर द्वारा चालित यंत्र		
(b) बोने, रोपने, काटने, तथा कोड़ने का यंत्र (i) पोस्ट हॉल डीगर (ii) आलू पलान्टर (iii) आलू डीगर (iv) मूंगफली डीगर (v) स्ट्रीप टील ड्रील (vi) ट्रेक्टर चालित रीपर (vii) प्याज कटाई करने वाला मशीन (viii) धान के पुआल कुटि काटने की मशीन (ix) जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रील (x) रेज्ड बेड प्लांटर (xi) ईख कटाई की मशीन (xii) रोपने की मशीन (xiii) सीड ड्रील	(i) 20 से एच0पी0 कम द्वारा चालित रू0 15,000/- (ii) 20 से 35 एच0पी0 द्वारा चालित रू0 19,000/-	(i) 20 एच0पी0 से कम द्वारा चालित रू0 12,000/- (ii) 20 से 35 एच0पी0 द्वारा चालित रू0 15,000/-

कृषि यंत्र का प्रकार	पिछड़ी जाति, जनजाति, सीमान्त किसान, महिला, पूर्वोतर राज्य के लाभुक	दुसरे लाभुकों के लिए
	अधिकतम अनुदान	अधिकतम अनुदान
(xiv) मल्टी कॉप प्लांटर (xv) जीरो-टील मल्टी कॉप प्लांटर (xvi) रीज फौरों प्लांटर		
(i) ट्रबों सीडर (ii) न्युमेटिक प्लांटर (i) न्युमेटिक सब्जी ट्रांसप्लांटर (ii) न्युमेटिक सब्जी सीडर (iii) हैप्पी सीडर (iv) प्लास्टिक मल्च लैयिंग मशीन	(i) 20 एच0पी0 से कम द्वारा चालित रू0 35,000 (ii) 20 से 35 एच0पी0 से कम चालित रू0 44,000/-	(i) 20 एच0पी0 से कम द्वारा चालित रू0 28,000 (ii) 20 से 35 एच0पी0 से कम चालित रू0 35,000/-
(c) इंटर कल्टीवेशन यंत्र (i) ग्रास वीड सलेस्र (ii) राईस स्ट्रॉ चौपर (iii) पावर वीडर (2 एच0पी0 से कम इंजन द्वारा चालित)	(i) 20 एच0पी0 से कम द्वारा चालित रू0 15,000 (ii) 20 से 35एच0पी0 से कम चालित रू0 19,000/-	(i) 20एच0पी0 से कम द्वारा चालित रू0 12,000 (ii) 20 से 35एच0पी0 से कम चालित रू0 15,000/-
(d) अवशेष प्रबन्धक यंत्र (i) ईख बगाश कटर (ii) नारियल फान्ड चौपर (iii) रेक (iv) बेलर (v) स्ट्रा रैपर	(i) 20 बी0एच0पी0 से कम द्वारा चालित रू0 15,000 (ii) 20 से 35एच0पी0 से कम चालित रू0 19,000/-	(i) 20एच0पी0 से कम द्वारा चालित रू0 12,000 (ii) 20 से 35एच0पी0 से कम चालित रू0 15,000/-
(e) कटनी एवं दवनी करने का यंत्र (i) मूंगफली पौड स्ट्रीपर (ii) थ्रैसर (iii) मल्टी कॉप थ्रैसर (iv) पैडी थ्रैसर (v) ब्रश कटर	(i) 3 एच0पी0 से कम इंजन/विद्युत मोटर और पॉवर टिलर तथा ट्रेक्टर 20 एच0पी0 से कम चालित रू0 20,000 (ii) 3 से 5 एच0पी0 इंजन/विद्युत मोटर और पॉवर टिलर तथा ट्रेक्टर 35 एच0पी0 से कम रू0 25,000	(i) 3 एच0पी0 से कम इंजन/विद्युत मोटर और पॉवर टिलर तथा ट्रेक्टर 20 एच0पी0 से कम चालित रू0 16,000 (ii) 3 से 5 एच0पी0 इंजन/विद्युत मोटर और पॉवर टिलर तथा ट्रेक्टर 35 एच0पी0 से कम रू0 20,000
(f) चाफ कटर	(i) 3 एच0पी0 से कम इंजन/विद्युत मोटर और पॉवर टिलर तथा ट्रेक्टर 20 एच0पी0 से कम चालित रू0 20,000 (ii) 3 से 5 एच0पी0 इंजन/विद्युत मोटर और पॉवर टिलर तथा ट्रेक्टर 35 एच0पी0 से कम रू0 25,000	(i) 3 एच0पी0 से कम इंजन/विद्युत मोटर और पॉवर टिलर तथा ट्रेक्टर 20 एच0पी0 से कम चालित रू0 16,000 (ii) 3 से 5 एच0पी0 इंजन/विद्युत मोटर और पॉवर टिलर तथा ट्रेक्टर 35 एच0पी0 से कम रू0 20,000

कृषि यंत्र का प्रकार	पिछड़ी जाति, जनजाति, सीमान्त किसान, महिला, पूर्वोतर राज्य के लाभुक		दुसरे लाभुकों के लिए	
	अधिकतम अनुदान		अधिकतम अनुदान	
ट्रैक्टर 35 एच0पी0 से अधिक चालित				
(a) भूमि विकास, जोताई और बीज क्षेत्र तैयार करने का यंत्र (i) मोलबोड हल (ii) डीस्क हल (iii) कल्टीवेटर (iv) हैरो (v) लेभेलर ब्लेड (vi) केज व्हील (vii) फरोव ओपेनर (viii)रीजर (ix) रिभरसीबल मैकनीकल हल	रू0 44,000/-		रू0 35,000/-	
(x) वीड सलेसर (xi) लेजर लैंड लेवलर (xii) रोटावेटर (xiii)रोटो-पडलर (xiv)रिभरसीबल हाइड्रोलिक हल (xv) सब-सोईलर (xvi) ट्रेंच मेंकर (पी0टी0ओ0 ऑपरेटर) (xvii) बेड फोरमर (पी0टी0ओ0 ऑपरेटर) (xviii) पॉवर हैरो (पी0टी0ओ0 ऑपरेटर) (xix) बैकहॉव लोडर डोजर (ट्रैक्टर ऑपरेटर)	रू0 63,000/-		रू0 50,000/-	
35 एच0पी0 से अधिक ट्रैक्टर द्वारा चालित	पिछड़ी जाति, जनजाति, सीमान्त किसान, महिला, पूर्वोतर राज्य के लाभुक		दुसरे लाभुकों के लिए	
	अधिकतम अनुदान	सहायता का प्रकार	अधिकतम अनुदान	सहायता का प्रकार
(b) बोने, रोपने, कटनी एवं खोदने का यंत्र (i) जीरो टिल सीड-कम-फर्टीलाइजर (ii) रेज्ड बेड प्लांटर (iii) सीड ड्रील (iv) आलू ड्रीगर (v) ट्रेक्टर ड्रॉअन रिपर (vi) प्याज कटनी यंत्र	रू0 44,000/-		रू0 35,000/-	
(i) पोस्ट होल डीगर (ii) आलू प्लांटर (iii) ग्रांउड नट प्लांटर (iv) स्ट्रीप टील ड्रील (v) राईस स्ट्रॉ चौपर (vi) ईख बगाश कटर	रू0 63,000/-	50%	रू0 50,000/-	40%

कृषि यंत्र का प्रकार	पिछड़ी जाति, जनजाति, सीमान्त किसान, महिला, पूर्वोतर राज्य के लाभुक		दुसरे लाभुकों के लिए	
	अधिकतम अनुदान		अधिकतम अनुदान	
(vii) मल्टी कॉप थ्रैसर (viii) जीरो–टील मल्टी कॉप प्लांटर (ix) रीज फरौ प्लांटर (x) ट्रबों सीडर (xi) न्युमेटिक प्लांटर (xii) न्युमेटिक सब्जी ट्रांसप्लांटर (xiii) न्युमेटिक सब्जी सीडर (xiv) हैप्पी सीडर (xv) कासवाँ प्लांटर (xvi) मेन्युर स्प्रेडर (xvii) फर्टिलाईजर स्प्रेडर पी०टी०ओ० ऑपरेटेड (xviii) प्लास्टिक मल्च लैयिंग मशीन (xix) ऑटोमैटिक राईस नर्सरी सोविंग मशीनरी				
35 एच०पी० से अधिक के ट्रेक्टर द्वारा चालित **(c) इंटर कल्टीवेशन यंत्र** (i) ग्रास/बीड सलेसर (ii) राईस स्ट्रॉ चौपर (iii) बीडर (पी०टी०ओ० ऑपरेटेड)	रू0 63,000/-	50%	रू0 50,000/-	40%
(d) कटनी एवं दवनी का यंत्र **5 एच0पी0 से अधिक इंजन/विद्युत मोटर तथा 35 एच0पी0 से अधिक ट्रेक्टर द्वारा चालित** (i) मूंगफली पौड स्ट्रीपर (ii) थ्रैसर/मल्टी कॉप (iii) पैडी थ्रैसर (iv) चॉफ थ्रैसर (v) फोरेज हारवेस्टर (vi) ब्रड स्केरयर	रू0 63,000/-	50%	रू0 50,000/-	40%
(e) अवशेष प्रबन्धन के लिए यंत्र भूसा और चारा (i) ईख बगाश कटर (ii) नारियल फान्ड चौपर (iii) हे रेक (iv) बेलर्स (गोलाकार) (v) बेलर्स (आयातकार) (vi) वुड चिपर (vii) ईख खूंटी प्रबन्धक (viii) कोटन स्यलक अपरूटर (ix) स्ट्रा रैपर	रू0 63,000/-	50%	रू0 50,000/-	40%

कृषि यंत्र का प्रकार	पिछड़ी जाति, जनजाति, सीमान्त किसान, महिला, पूर्वोतर राज्य के लाभुक	दुसरे लाभुकों के लिए
	अधिकतम अनुदान	अधिकतम अनुदान
[illegible]		
कृषि यंत्र का प्रकार	पिछड़ी जाति, जनजाति, सीमान्त किसान, महिला, पूर्वोतर राज्य के लाभुक	दुसरे लाभुकों के लिए
	अधिकतम अनुदान	अधिकतम अनुदान
(a) भूमि विकास, जोताई और बीज क्षेत्र तैयार करने का यंत्र (i) मोलबोड हल (ii) डीस्क हल (iii) कल्टीवेटर (iv) हैरो (v) लेभेलर ब्लेड (vi) फरोव ओपेनर (vii) रीजर (viii) पडलर	रू0 10,000/-	रू0 8,000/-
(b) बोने, तथा रोपने का यंत्र (i) पैडी प्लांटर (ii) सीड-कम-फर्टीलाईजर ड्रील (iii) रेज्ड वीड प्लांटर (iv) प्लांटर (v) डीबलर (vi) धान का पौधशाला लगाने का यंत्र	रू0 10,000/-	रू0 8,000/-
(vii) ड्रम सीडर (4 पंक्ति से कम)	रू0 15,00/-	रू0 12,00/-
(viii) ड्रम सीडर (4 पंक्ति से अधिक)	रू0 19,00/-	रू0 15,00/-
(c) कटनी एवं दवनी का यंत्र (i) ग्राउंड नट पौड स्ट्रीपर (ii) थ्रैसर (iii) ओसाने का पंखा (iv) ट्री क्लाईबंर (v) बागवानी हस्त यंत्र	रू0 10,000/-	रू0 8,000/-
(i) चॉफ कटर (3 एच0पी0तक)	रू0 5,000/-	रू0 4,000/-
(i) चॉफ कटर (3 एच0पी0 से अधिक)	रू0 63,00/-	रू0 5,000/-
(d) इंटर कल्टीवेशन यंत्र (i) ग्रास वीड स्लेसर (ii) वीडर (iii) कोनोवीडर (iv) गार्डन हस्त यंत्र	रू0 6,00/-	रू0 5,00/-

कृषि यंत्र का प्रकार	पिछ्ड़ी जाति, जनजाति, सीमान्त किसान, महिला, पूर्वोतर राज्य के लाभुक	दुसरे लाभुकों के लिए
	अधिकतम अनुदान	अधिकतम अनुदान

पौधा संरक्षण यंत्र (एस0एम0ए0एम0)

कृषि यंत्र का प्रकार	पिछ्ड़ी जाति, जनजाति, सीमान्त किसान, महिला, पूर्वोतर राज्य के लाभुक		दुसरे लाभुकों के लिए	
	अधिकतम अनुदान	सहायता का प्रकार	अधिकतम अनुदान	सहायता का प्रकार
(a) मानव चालित स्प्रेयर / नैप सैक स्प्रेयर /पद चालित स्प्रेयर	रू0 600/-	-	रू0 500/-	-
(b) (i) विद्युत चालित / नैप सैक स्प्रेयर / ताईवान स्प्रेयर क्षमता 8-12 ली0	रू0 3100/-	-	रू0 2,500/-	-
(ii) विद्युत चालित / नैप सैक स्प्रेयर / ताईवान स्प्रेयर क्षमता 12-16 ली0	रू0 3800/-	-	रू0 3,000/-	-
(iii) विद्युत चालित / नैप सैक स्प्रेयर / ताईवान स्प्रेयर क्षमता 16 ली0 से अधिक	रू0 10,000/-	-	रू0 8,000/-	-
(c) ट्रेक्टर चालित स्प्रेयर (i) 20 एच0पी0 से कम	रू0 10,000/-	-	रू0 8000/-	-
(ii) 20-35 एच0पी0	रू0 13,000/-	-	रू0 10,000/-	-
(iii) 35एच0पी0 से अधिक	रू0 63,000/-	50%	रू0 50,000/-	40%
(d) वायुमंडल मित्रवत्र लाईट ट्रैप	रू0 14,00/-	-	रू0 12,00/-	-
(e) इल्केट्रोस्टेटीक स्प्रेयर	रू0 63,000/-	50%	रू0 50,000/-	40%
कटाई उपरान्त तकनीकी यंत्र (एस0एम0ए0एम0)				
पी0एच0टी0 ईकाई का निर्माण प्रारंम्भिक संस्करण तकनीक, गुण वृद्धि, कम खर्च का वैज्ञानिक भंडारण पैकेजिंग उत्उत्पादन का प्रबन्धन	रू0 1.50 लाख प्रति ईकाई	60%	रू0 1.25 लाख प्रति ईकाई	50%

भाड़े पर फार्म मशीनरी देने के लिए बैंक का निर्माण (एस0एम0ए0एम0)

क्र0सं0	वस्तु	अधिकतम देय खर्च	सहायता का प्रकार
1.	भाड़ें पर कृषि यंत्र देने वाले केन्द्र, अनुदान रू060.00 लाख तक	योजना पर आधारित रू0 24 लाख	40%

भाड़े पर देने के लिए उच्च तकनीक, उच्च उत्पादन के लिए कृषि यंत्र केन्द्र का निर्माण (एस0एम0ए0एम0)

क्र.सं.	वस्तु	अधिकतम देय खर्च	सहायता का प्रकार
1.	भाड़ें पर कृषि यंत्र देने वाले केन्द्र अनुदान लाख 250 लाख तक	योजना पर आधारित रू0 100 लाख	40%

वित्तीय सहायता कृषि यंत्रो के खरीद के, लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन						
क्र.स.	यंत्र का नाम	सहायता का प्रकार	फसल जिसमे लागु है			
			धान	गेहूँ	दाल	मोटा अनाज
1.	कोनोवीडर	खर्च का 50% या रू06,00 जो भी कम हो	✓			
2.	मानव चालित स्प्रेयर/ नैप सैक स्प्रेयर/पैर से चालित स्प्रेयर	खर्च का 50% या रू06,00 जो भी कम हो	✓	✓	✓	
3.	ड्रम सीडर	खर्च का 50% या रू015,00 जो भी कम हो	✓			
4.	पॉवर स्प्रेयर	खर्च का 50% या रू03,000 जो भी कम हो	✓	✓	✓	
5.	चैफ कटर	खर्च का 75% या रू05,000 जो भी कम हो				
6.	चीजलर (डीप जुताई)	खर्च का 50% या रू08,000 जो भी कम हो		✓	✓	
7.	ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर	खर्च का 50% या रू010,000 जो भी कम हो		✓	✓	
8.	सीड ड्रील	खर्च का 50% या रू015,000 जो भी कम हो	✓	✓	✓	
9.	जीरो टील सीड ड्रील	खर्च का 50% या रू015,000 जो भी कम हो		✓	✓	
10.	मल्टी क्रॉप प्लांटर	खर्च का 50% या रू015,000 जो भी कम हो	✓	✓	✓	
11.	जीरो टील मल्टी क्रॉप प्लांटर	खर्च का 50% या रू015,000 जो भी कम हो	✓	✓	✓	
12.	रीज फरो प्लांटर	खर्च का 50% या रू015,000 जो भी कम हो			✓	
13.	पॉवर वीडर	खर्च का 50% या रू015,000 जो भी कम हो	✓	✓		
14.	मोबाइल रेन गन	खर्च का 50% या रू015,000 जो भी कम हो		✓	✓	
15.	शक्ति चालित चैफ कटर	खर्च का 75% या रू020,000 जो भी कम हो				
16.	रोटाभेटर/ट्र्बो सीडर	खर्च का 50% या रू035,000 जो भी कम हो	✓	✓	✓	
17.	पैडी थ्रेसर/मल्टी कॉप थ्रेसर	खर्च का 50% या रू040,000 जो भी कम हो	✓	✓	✓	
18.	लेजर लैंड लेवलर	रू0 1.25 लाख प्रति मशीन, दस किसानों के समूह को	✓	✓	✓	
19	सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी प्लांटर	खर्च का 50% रू075,000 प्रति मशीन जो भी कम हो	✓			

(c) कृषि यंत्र खरीद सहायता के लिए (एन0एम0ओ0ओ0पी) के मिनी मिशन के अन्तर्गत

कृषि यंत्र का प्रकार	पिछडी जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, महिला समूह > 5 सदस्य, एफ0पी0ओ और पूर्वोतर राज्यों के लाभुक			
	अधिकतम अनुदान	सहायता का प्रकार	अधिकतम अनुदान	सहायता का प्रकार
पौधा संरक्षण यंत्र				
(a) मानव चालित स्प्रेयर (i) वायुमंडलीय मित्रवत प्रकाश फंद्रा (एन0सी0आई0पी0एम0मोडल) और नेप सेक /फुट चालित स्प्रेयर	रू0 8,000/-	50%	रू0 6,00/-	40%
(ii) बीजोपचार ड्रम 20किलो से 40किलो क्षमता	रू0 2,000/-	-	रू0 1,750/-	50%

(b) शक्ति चालित (i) नैप सैक स्प्रेयर/ताईवान स्प्रेयर क्षमता 16 ली0 से कम	रू0 38,00/-	60%	रू0 3,000/-	50%
(ii) नैप सैक स्प्रेयर/ताईवान स्प्रेयर क्षमता 16 ली0 से अधिक	रू0 10,000/-	50%	रू0 8,000/-	40%
(c) उन्नत कृषि यंत्रों की आपूर्ति				
(i) मानव चालित/बैल चालित यंत्र चीजलर सहित	रू0 10,000/-	50%	रू0 8,000/-	40%
(ii) ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र जैसे- रोटा भेटर/सीड ड्रील/जीरो टिल सीड ड्रील/मल्टी कॉप प्लांटर/रीज फरौव प्लांटर/ रेज्ड बेड प्लांटर/ पॉवर सीडर/ ग्राउंडनट डीगर और मल्टी कॉप थैसर	रू0 63,000/-	50%	रू0 50,000/-	40%

(d) कृषि यंत्रो के खरीद पर वित्तीय सहायता मिनी मिशन टू (ऑयल पाम) (एन0एम0ओ0ओ0पी) के अन्तर्गत

यंत्र	सहायता का प्रकार
मशीन एवं यंत्र	खर्च का 50% सहायता जैसा कि राज्य सरकार के कृषि एवं बागवानी विभाग में दिया जाता है। (i) मानव चालित/हाई रिच ऑयल पाम कटर रू01,500 प्रति ईकाई (ii) ऑयल पाम्प बचाव हेतु तार की चलनी- रू015,000 प्रति ईकाई (iii) मोटर चालित चीजल रू010,000 प्रति ईकाई (iv) अल्मुनियम का प्रोटबल सीढ़ी रू03,000 प्रति ईकाई (v) ऑयल पाम के पत्तों से चारा काटने की मशीन (केवल ऑयल पाम किसानों के लिए) (vi) छोटा ट्रेक्टर 20एच0पी0 तक ट्राली के साथ खरीद खर्च का 25% अधिकतम रू0 0.75 लाख, अतिरिक्त 10% पिछड़ी जाति, जनजाति, लघु/सीमांत, महिला समुह 5 सदस्यों से अधिक होना चाहिए। एफ0पी0ओ0 और पूर्वोतर राज्य में अधिकतम रू01लाख प्रति ईकाई (vii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित कोई अन्य यंत्र स्थानीय प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है। (viii) एम0एन0ओ0पी0पी0 के समिति के अनुशंसा पर मैकैनिकल स्प्रेयर / मैकैनिकल हारवेस्टर को शामिल किया जा सकता है।

(e) कृषि मशीन की खरीद पर वित्तीय सहायता एम0आई0डी0एच0 के अन्तर्गत 12वीं योजना में ।

वस्तु	खर्च का मानदंड	सहायता का प्रकार
(i) ट्रेक्टर (20पी0टी0ओ0) तक	रू0 3 लाख प्रति ईकाई	खर्च का 25% अधिकतम 0.75 लाख प्रति ईकाई समान्य किसानों के लिए तथा पिछ्ड़ी जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत, किसान, महिला तथा पूर्वात्तर राज्यों को लाभुकों को 35%, अधिकतम 1.00 लाख प्रति ईकाई
(ii) पॉवर टिलर		
(a) पॉवल टिलर (8एच0पी0 से कम)	रू01.00 लाख प्रति ईकाई	अधिकतम रू0 0.40 लाख प्रति ईकाई समान्य किसानों के लिए तथा पिछ्ड़ी जाति, जनजाति लघु एवं सीमांत, किसान, महिला तथा पूर्वात्तर राज्यों के लाभुकों के लिए अधिकतम रू0 0.50 लाख प्रति ईकाई
(b) पॉवल टिलर (8एच0पी0 और इससे अधिक)	रू0 1.50 लाख प्रति ईकाई	अधिकतम रू0 0.60 लाख/प्रति ईकाई समान्य किसानों के लिए तथा पिछ्ड़ी जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, महिला तथा पूर्वात्तर राज्यों के लाभुकों के लिए अधिकतम रू00.75 लाख प्रति ईकाई

(iii) ट्रेक्टर /पॉवर टिलर (20 एच0पी0 से कम) द्वारा चालित यंत्र		
(a) भूमि विकास, जुताई तथा सीड वेड की तैयारी	रू0 0.30 लाख प्रति ईकाई	अधिकतम रू0 0.12 लाख प्रति ईकाई समान्य किसानों के लिए तथा पिछड़ी जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, एवं महिला तथा पूर्वोतर राज्य के लाभुकों के लिए अधिकतम रू0 0.15 लाख प्रति ईकाई
(b) बुआई, रोपण, कटाई तथा खोदने का यंत्र	रू0 0.30 लाख प्रति ईकाई	अधिकतम रू0 0.12 लाख प्रति ईकाई समान्य किसानों के लिए तथा पिछड़ी जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, एवं महिला तथा पूर्वोतर राज्य के लाभुकों के लिए अधिकतम रू0 0.15 लाख प्रति ईकाई
(c) प्लास्टिक मल्च डालने वाली मशीन	रू0 0.70 लाख प्रति ईकाई	अधिकतम रू0 0.28 लाख प्रति ईकाई समान्य किसानों के लिए तथा पिछड़ी जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, एवं महिला तथा पूर्वोतर राज्य के लाभुकों के लिए अधिकतम रू0 0.35 लाख प्रति ईकाई
(iv) सेल्फ प्रोप्पेल्ड बागवानी मशीनरी	रू0 2.50 लाख प्रति ईकाई	अधिकतम रू0 1.00 लाख प्रति ईकाई समान्य किसानों के लिए तथा पिछड़ी जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान एवं महिला तथ पूर्वोतर राज्य के लाभुकों के लिए अधिकतम रू0 1.25 लाख प्रति ईकाई

किससे संम्पर्क करे ?

जिला कृषि पदाधिकारी, जिला बागवानी पदाधिकारी, निदेशक आत्मा।

11.कृषि विपणन

किसान अपनी उपज की कीमत की जानकरी एगमार्कनेट वेबसाईट (www.agmarknet.nic.in) पर या किसान कॉल सेन्टर अथवा एस0एम0एस0 के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।

- किसी सूचना की आवश्यकता पर एस0एम0एस करें।
- खरीददार एवं विक्रेता का पोर्टल www.farmer.gov.in/bysellhtm पर उपलब्ध है।
- उचित समय पर कटनी एवं दवनी करें।
- अधिक मूल्य पाने के लिए उचित ग्रेडिंग, पैकिंग और लेवलिंग करें।
- उपज का लाभकारी मूल्य पाने के लिए उचित बाजार/मण्डी में परिवहन किया जाना चाहिए।
- अधिकतम लाभ के लिए उपज का भंडारण करके ऑफ सीजन मे ब्रिकी करना चाहिए।
- मजबूरन ब्रिकी से बचें।
- बेहतर विपणन सुविधाओं के लिए किसान समूह में सहकारी मार्केटिंग कर सकता है।
- विपणन सरकारी समितियाँ खुदरा एवं थोक दुकान खोल सकती है।
- मजबूरन ब्रिकी से बचने के लिए किसान उपज भंडारण के लिए शीत भंडारण और गोदाम का संचालन कर सकते है।

क्या पाये ?

क्र0 सं0	सुविधा का प्रकार	कोटि	अधिकतम अनुदान				
			लागत पर अनुदान की दर	1000 मी0टन तक रू0 / प्रति मी0टन	1000 से 30000 मी0 टन	अधिकतम लाख रू0	स्कीम
1.	(i) भंडारण संरचना परियोजना– कृषि विपणन संरचना (आई0एस0ए0एम0) के अन्तर्गत सब स्कीम	पूर्वोत्तर, सिक्किम, अंडमान निकोबार, एवं लक्षद्वीप एवं पर्वतीय क्षेत्र	33.33%	1333.20	1333.20	400.00	कृषि विपणन के लिए समन्वित योजना (आई0 एस0ए0एम0)
	(ii) ग्रामिण भंडारण योजना	दूसरे क्षेत्रों में पंजीकृत एफ0पी0ओ0, पंचायत, महिला, पिछड़ी जाति, जनजाति, के लाभुक या उनके सहकारी समितियाँ/स्वयंसेवी समूह	33.33%	1166.55	1000.00	300.00	
		अन्य कोटि के लाभुकों के लिए	25%	875.00	750.00	225.00	

सहायता की कोटि/अधिकतम सीमा					
क्र. सं.	सुविधा का प्रकार	कोटि	अनुदान की दर	अधिकतम अनुदान	स्कीम
1.	(i) अन्य विपणन संरचना आई0एस0एम0 के अन्तर्गत सब स्कीम ए0एम0आई0 परियोजना	(a) पूर्वोतर राज्य सिक्कम, उतराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अण्डमान निकोबार, लक्षद्वीप, पर्वतीय क्षेत्र तथा जनजातिय क्षेत्र	33.33%	500.00	(आई0एस0ए0एम0)
	विकास की योजनाएं /कृषि विपणन संरचना का सुदृढ़िकरण, ग्रेडिंग और मानकीकरण के लिए।	(b) दूसरे क्षेत्रों में निबंधित एफ0पी0ओ, पंचायत महिला उद्यमी, पिछड़ी जाति, जनजाति, सहकारिता समिति	33.33%	500.00	
		अन्य कोटि के लाभुकों के लिए	25%	400%	

योग्य विपणन संरचना

- कटाई उपरान्त प्रबंधन के लिए सभी विपणन संरचना ।
- बाजार प्रयोगकर्ता के लिए सार्वजनिक सुविधा जैसे- मार्केट प्रांगण।
- ग्रेडिंग, मानकीकरण, गुणप्रमाणिकरण, लेवलिंग, पैकेजिंग, मूल्य वृद्धि सुविधाएं (उत्पाद के रूप को बिना बदले)।
- उत्पादक से उपभोक्ता तक सीधे विपणन के लिए संरचना/संस्करण, ईकाई/थोक खरीददार इत्यादि के लिए सरंचना।
- वाहन जिसका प्रयोग कृषि उत्पाद के परिवहन तथा आपूर्ति श्रृखंला के लिए आवश्यक है।

अनुदान एवं ऋण के लिए कहाँ आवेदन दें ?

- कॉमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक इत्यादि।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास कॉपरेशन सहकारी योजनाओं के लिए।
- विस्तृत सूचना (आई0एस0एम0) के मार्गदर्शिका पर वेबसाईट www.agmarknet.nic.in पर उपलब्ध है।